

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

संख्या 1322/आउट ऑफ टर्न पत्रा0/2026-27 दिनांक 24 सितम्बर, 2026

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायेजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-728 दिनांक 14 सितम्बर, 2023, संशो0शा0सं0-825 दिनांक 01 नवम्बर, 2023, SOP संख्या- 105(A) दिनांक 30 जनवरी, 2024, शासनादेश संख्या- 983 दिनांक 11 जनवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 677 दिनांक 22 सितम्बर, 2026 में निहित प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी खिलाड़ियों से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 09 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) नियत की जाती है। विज्ञप्ति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी/आवेदन पत्र खेल विभाग की वेबसाइट-<https://sports.uk.gov.in> पर उपलब्ध है।

उक्त विज्ञप्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय ई-मेल आईडी directorsprts1@gmail.com या किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अपर निदेशक खेल/
कृते निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. संपादक, दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान/अमर उजाला/दैनिक जागरण को इस आशय से कि तीन दिवसों के भीतर एक ही तिथि में "उत्तराखण्ड संस्करण" में 08x08 वर्ग सेमी0 में डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु खेल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से अपने-अपने जनपद में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में खिलाड़ी हित में निःशुल्क प्रकाशित करते हुए स्टेडियमों/कार्यालयों एवं मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इसकी सूचना चस्पा की जाये।

अपर निदेशक खेल/
कृते निदेशक



खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून

वेबसाइट—<https://sports.uk.gov.in>

E- mail: directorsprts1@gmail.com

फोन नं०— 0135-2930020

विज्ञापन संख्या—1322/आ०ऑ०टर्न०नि०पत्रा०/2026-27 देहरादून

दिनांक: 24 सितम्बर, 2026

खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग में खेल नीति-2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न द्वारा सेवायोजन/चयन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	25 सितम्बर, 2026 (शुक्रवार)
आवेदन की प्रारम्भ तिथि (ऑफलाईन)	25 सितम्बर, 2026 (शुक्रवार) प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे किसी भी कार्य दिवस पर
आवेदन की अन्तिम तिथि (स्वयं/पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा)	09 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे किसी भी कार्य दिवस पर

उपरोक्त आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 09 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अति महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

1. शासनादेश संख्या-728 दिनांक 14 सितम्बर, 2023, संशो०शा०सं०-825 दिनांक 01 नवम्बर, 2023, SOP संख्या- 105(A) दिनांक 30 जनवरी, 2024, शासनादेश संख्या- 983 दिनांक 11 जनवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 677 दिनांक 22 सितम्बर, 2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार खेल नीति-2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न द्वारा सेवायोजन/चयन हेतु कार्यवाही की जायेंगी।
2. तालिका संख्या-01 में उल्लेखित प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
3. उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी खिलाड़ी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
4. खेल निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदनकर्ता खिलाड़ी को सीधे अपना आवेदन पत्र निदेशक खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को स्वप्रमाणित समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ (स्वयं/पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा) के माध्यम से मूल रूप में उपलब्ध कराना होगा।
5. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक/खेल/स्थायी निवास/चरित्र प्रमाण-पत्र/अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं, अन्यथा की दशा में आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।
6. आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के आधार पर सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया है, उस वर्ष एवं उस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग से पूर्व नेशनल गेम्स में उत्तराखण्ड राज्य से प्रतिनिधित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. तालिका संख्या-01 में उल्लेखित प्रतियोगिताओं में सभी खेलों (Demo खेल को छोड़कर) में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी ही आवेदन कर सकते हैं।
8. आउटऑफ टर्न सेवायोजन हेतु चिन्हित विभाग- खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में सेवायोजन हेतु इच्छित विभागों का वरीयता क्रम प्रस्तुत करना होगा।
9. तालिका संख्या-01 में उल्लेखित प्रतियोगिताओं में सभी खेलों (Demo खेल को छोड़कर) दिनांक 25 सितम्बर, 2021 से 25 सितम्बर, 2026 के मध्य आयोजित संबंधित प्रतियोगिताओं (तालिका-01 के अनुसार) में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी ही आवेदन कर सकते हैं।

क्रमशः2

तालिका-01- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों का वर्गीकरण:-

(I)	श्रेणी-1	वेतनमान- 56100 – 170500 लेवल- 10 ग्रेड पे- 5400	ओलम्पिक गेम्स/पैरालम्पिक गेम्स	स्वर्ण, रजत , कांस्य पदक विजेता
			विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता
(II)	श्रेणी-2	वेतनमान- 47600 – 181100 लेवल- 08 ग्रेड पे- 4800	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	रजत पदक विजेता
(III)	श्रेणी-3	वेतनमान- 44900 – 142400 लेवल- 07 ग्रेड पे- 4600	एशियन चैंपियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	स्वर्ण पदक विजेता
			विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	कांस्य पदक विजेता
(IV)	श्रेणी-4	वेतनमान- 35400- 112400 लेवल-06 ग्रेड पे- 4200	एशियन चैंपियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	रजत एवं कांस्य पदक विजेता
			कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता
(V)	श्रेणी-5	वेतनमान- 28200-92300 लेवल-05 ग्रेड पे- 2800	कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	रजत एवं कांस्य पदक विजेता
		वेतनमान-21700- 69100 लेवल-03 ग्रेड पे- 2000		



खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून

वेबसाइट—<https://sports.uk.gov.in>

E- mail: directorsports1@gmail.com

फोन नं०— 0135—2930020

विज्ञापन संख्या— 1322/आ०ऑ०टर्न०नि०पत्रा०/2026—27 देहरादून दिनांक: 24 सितम्बर, 2026

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन आवेदन—पत्र का प्रारूप

आवेदन संख्या.....(कार्यालय उपयोगार्थ)

1. पदक विजेता खिलाड़ी का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी में (Capital Letter).....

2. पिता/पति का नाम

3. माता का नाम.....

4. जन्म तिथि

5. पूर्ण पता (पिन कोड सहित).....

.....

6. मोबाईल/दूरभाष संख्या.....

7. शैक्षिक योग्यता—

नवीनतक स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का नाम	शिक्षा में संकाय (Stream)	उत्तीर्ण वर्ष	परिणाम
हाई स्कूल		वर्ष —	प्रतिशत/ग्रेड—
इण्टरमीडिएट		वर्ष —	प्रतिशत/ग्रेड—
स्नातक		वर्ष —	प्रतिशत/ग्रेड—
स्नातकोत्तर		वर्ष —	प्रतिशत/ग्रेड—
अधिमानी अर्हताएँ यदि कोई हों तो उल्लेख करें—			

8. खेल का नाम

9. प्रतियोगिता का नाम

(वह प्रतियोगिता, जिसे सेवायोजन हेतु आधार बनाया गया है)

10. प्रतियोगिता आयोजन की तिथि.....स्थल.....

11. अर्जित पदक— स्वर्ण रजत..... कांस्य

12. वर्गीकरण—

क्र०सं०	खेलों का वर्गीकरण	अर्जित पदक	पदक अर्जित करने का विवरण
1	ओलम्पिक गेम्स/ पैरालम्पिक गेम्स	स्वर्ण, रजत , कांस्य पदक विजेता	
	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) /एशियन गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता	
2	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) /एशियन गेम्स	रजत पदक विजेता	
3	एशियन चैंपियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	स्वर्ण पदक विजेता	
	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	कांस्य पदक विजेता	
4	एशियन चैंपियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	रजत एवं कांस्य पदक विजेता	
	कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता	
5	कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	रजत एवं कांस्य पदक विजेता	
नोट:- उपरोक्त प्रतियोगिताओं में सभी खेलों (Demo खेल को छोड़कर) विज्ञापन प्रकाशन तिथि/दिनांक 25 सितम्बर, 2021 से 25 सितम्बर, 2026 के मध्य आयोजित उक्त प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी ही आवेदन कर सकते हैं।			

13. उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र संख्या एवं दिनांक

14. आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के आधार पर सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया है, उस वर्ष एवं उस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग से पूर्व नेशनल गेम्स में उत्तराखण्ड राज्य से प्रतिनिधित्व का प्रमाण पत्र संख्या एवं दिनांक
15. आउटऑफ टर्न सेवायोजन हेतु चिन्हित विभाग— खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में सेवायोजन हेतु इच्छित विभागों का वरीयता क्रम

1	2	3	4	5	6

- 16.. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की संख्या एवं विवरण.....

घोषणा पत्र/सहमति

मैं.....पुत्री/पत्नी.....जनपद.....यह घोषणा/सहमति करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा खेल विभाग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-728 दिनांक 14 सितम्बर, 2023, संशो0शा0सं0-825 दिनांक 01 नवम्बर, 2023, SOP संख्या- 105(A) दिनांक 30 जनवरी, 2024, शासनादेश संख्या- 983 दिनांक 11 जनवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 677 दिनांक 22 सितम्बर, 2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों का वर्गीकरण, पदों का विवरण, योग्यताएँ, नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति, कर्तव्य एवं दायित्व और अन्य दी गई व्यवस्थाओं से सहमत हूँ एवं मेरे द्वारा उपरोक्त प्रतियोगिता/अर्जित पदक हेतु WADA एवं NADA द्वारा निर्धारित Anti doping की शर्तों एवं नियमों का पालन किया गया है तथा आवेदन हेतु प्रस्तुत किये गये सभी प्रपत्र/प्रमाण-पत्र/सूचना, मेरी जानकारी में सही/सत्य है तथा मेरे द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरा आवेदन/नियुक्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा निरस्त किये जाने पर मुझे किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर.....

स्थान.....

आवेदनकर्ता का नाम.....